

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 08.09.2022-

अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना छपिया पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त इरशाद को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 430 ग्राम अवैध गाँजा बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना छपिया में एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. इरशाद पुत्र मुस्ताक निवासी चकमण्डी मौजा खालेगाँव थाना छपिया, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-248/22, धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 430 ग्राम अवैध गाँजा।

गिरफ्तार कर्ता-

उ0नि0 सुनील कुमार तिवारी मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 08.09.2022

जालसाजी करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा शिवराज के पर्यवेक्षण में थाना इटियाथोक पुलिस ने मुखबिर खास की सूचना पर मु0अ0सं0- 09/2022, धारा 406/420/467/468/471 भादवि0 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त बिन्देश्वरी प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने वादी अनिल तिवारी पुत्र स्व0 पृथ्वीनाथ तिवारी निवासी दलपतपुर थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा से ट्रैक्टर लोन व के0सी0सी0 लोन जालसाजी व धोखाधड़ी करके ले लिया था। थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. बिन्देश्वरी प्रसाद पुत्र हरिप्रसाद निवासी ग्राम निरन्जन नगर बेलभरिया थाना इटियाथोक, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 09/2022, धारा 406/420/467/468/471 भादवि0 थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. उ0नि0 विश्वास कुमार चतुर्वेदी मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 08.09.2022

चोरी करने का आरोपी गिरफ्तार, चोरी का 01 अदद आयसर ट्रैक्टर व प्रेशर ट्राली बरामद-
पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा शिवराज के पर्यवेक्षण में थाना को0नगर गोण्डा पुलिस ने मुखबिर खास की सूचना पर थाना महमुदाबाद, जनपद सीतापुर में पंजीकृत मु0अ0स0 0398/2022 धारा 379 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त हरीराम पासवान को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी का 01 अदद आयसर ट्रैक्टर व प्रेशर ट्राली बरामद की गई। जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर गोण्डा में अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. हरीराम पासवान पुत्र शम्भू पासवान नि0 ग्राम बेहटी सिदौली थाना महमूदाबाद जिला सीतापुर।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 595/2022, धारा 41,411,413 भादवि0 थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा।

अनावरित अभियोग—

01. मु0अ0सं0- 398/2022, धारा 379 भादवि0 थाना महमूदाबाद, जनपद सीतापुर।

बरामदगी-

01. चोरी का 01 अदद आयसर ट्रैक्टर (UP34BJ2783) व प्रेशर ट्राली बरामद।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. उ0नि0 राजेन्द्र कनौजिया मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 08.08.2022

गौवध निवारण अधि० का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त इमामुद्दीन उर्फ ननकू को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त थाना कटराबाजार के मु०अ०सं०-42/22, धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधि०, 11 पशु क्रूरता अधि० में भी वांछित चल रहा था। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कटराबाजार द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. इमामुद्दीन उर्फ ननकू पुत्र मुकीम निवासी ग्राम मंगरेपुरवा कटरा बाजार जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं०-42/22, धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधि०, 11 पशु क्रूरता अधि० थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता-

उ०नि० चितवन कुमार मय टीमा।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 08.09.2022

जनपदीय पुलिस ने की अवैध कच्ची शराब के निष्कर्षण के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही, 36 अभियुक्त गिरफ्तार, 499 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद:-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अवैध कच्ची शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्र0नि0/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना इटियाथोक पुलिस ने थाना क्षेत्र में दबिश देकर अवैध कच्ची शराब का निष्कर्षण कर रहे 05 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे 88 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब, यूरिया, नौसादर व बनाने के उपकरण बरामद, थाना तरबगंज पुलिस ने 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब, थाना परसपुर पुलिस ने 06 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 80 ली0 अवैध कच्ची शराब, थाना मनकापुर पुलिस ने 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 50 ली0 अवैध कच्ची शराब, थाना कटराबाजार पुलिस ने 40 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 71 ली0 अवैध कच्ची शराब, थाना को0देहात पुलिस ने 04 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 70 ली0 अवैध कच्ची शराब, थाना कोतवाली नगर पुलिस ने 02 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब, , थाना कर्नेलंगज पुलिस ने 02 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब, , थाना कौडिया पुलिस ने 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब, वजीरगंज पुलिस ने 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब, थाना खोड़ारे पुलिस ने 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब, थाना धानेपुर पुलिस ने 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद किया गया। अभियुक्तगणों के विरुद्ध संबंधित थानों द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।